



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17062020-219980
CG-DL-E-17062020-219980

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1703]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 17, 2020/ज्येष्ठ 27, 1942

No. 1703]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 17, 2020/JYAISTHA 27, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2020

का.आ. 1919(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के गडचिरोली जिले में NH353C के कि.मी. 132 से कि.मी.182 (तहसील ऑफिस चामोर्शी) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सब डिविजनल ऑफिसर चामोर्शी को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के गडचिरोली जिले में NH353C के कि.मी. 132 से कि.मी.182 (तहसील ऑफिस चामोशी) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: गडचिरोली			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: चामोशी					
गांव का नाम: नवेगांव राई					
1	36	निजी	कृषी	0.0256900(हेक्टेयर)	0.0256900
2	38	निजी	कृषी	0.0622800(हेक्टेयर)	0.0622800
3	39	निजी	कृषी	0.1404600(हेक्टेयर)	0.1404600
4	40	निजी	कृषी	0.1789900(हेक्टेयर)	0.1789900
गांव का नाम: तालोधी मो					
1	461	निजी	कृषी	0.3929600(हेक्टेयर)	0.3929600
2	463	निजी	कृषी	0.3969900(हेक्टेयर)	0.3969900
3	464	निजी	कृषी	0.1384300(हेक्टेयर)	0.1384300
4	574	निजी	कृषी	0.0331000(हेक्टेयर)	0.0331000
5	703	निजी	कृषी	0.0001300(हेक्टेयर)	0.0001300
6	704	निजी	कृषी	0.0009400(हेक्टेयर)	0.0009400
7	705	निजी	कृषी	0.0043100(हेक्टेयर)	0.0043100
8	707	निजी	कृषी	0.0651500(हेक्टेयर)	0.0651500
9	708	निजी	कृषी	0.0126600(हेक्टेयर)	0.0126600
10	709	निजी	कृषी	0.0452100(हेक्टेयर)	0.0452100
11	710	निजी	कृषी	0.0492100(हेक्टेयर)	0.0492100
12	711	निजी	कृषी	0.0590000(हेक्टेयर)	0.0590000
13	726	निजी	कृषी	0.0290400(हेक्टेयर)	0.0290400
14	727	निजी	कृषी	0.0034600(हेक्टेयर)	0.0034600
कुल				1.6380	1.6380

[फा. सं. 12037/33/2016-MAH/3A]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2020

S.O.1919(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH353C in the stretch of land from Km. 132 to Km. 182 (Tahsil Office Chamorshi) in the district of GADCHIROLI in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer Chamorshi in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH353C in the stretch of land from Km. 132 to Km. 182 (Tahsil Office Chamorshi) in the district of GADCHIROLI in the State of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA		District: GADCHIROLI			
S. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Chamorshi					
Village: Navegaon Rai					
1	36	Private	Agriculture	0.0256900(Hectare)	0.0256900
2	38	Private	Agriculture	0.0622800(Hectare)	0.0622800
3	39	Private	Agriculture	0.1404600(Hectare)	0.1404600
4	40	Private	Agriculture	0.1789900(Hectare)	0.1789900
Village: Talodhi Mo					
1	461	Private	Agriculture	0.3929600(Hectare)	0.3929600
2	463	Private	Agriculture	0.3969900(Hectare)	0.3969900
3	464	Private	Agriculture	0.1384300(Hectare)	0.1384300
4	574	Private	Agriculture	0.0331000(Hectare)	0.0331000
5	703	Private	Agriculture	0.0001300(Hectare)	0.0001300
6	704	Private	Agriculture	0.0009400(Hectare)	0.0009400
7	705	Private	Agriculture	0.0043100(Hectare)	0.0043100
8	707	Private	Agriculture	0.0651500(Hectare)	0.0651500
9	708	Private	Agriculture	0.0126600(Hectare)	0.0126600
10	709	Private	Agriculture	0.0452100(Hectare)	0.0452100
11	710	Private	Agriculture	0.0492100(Hectare)	0.0492100

12	711	Private	Agriculture	0.0590000(Hectare)	0.0590000
13	726	Private	Agriculture	0.0290400(Hectare)	0.0290400
14	727	Private	Agriculture	0.0034600(Hectare)	0.0034600
Total				1.6380	1.6380

[F. No. 12037/33/2016-MAH/3A]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.